## न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 3/2020

1. ओमप्रकाश
2. बिहारी लाल
3. रामावतार
4. रामप्रसाद

पुत्रान् सूडेराम, जाति मेघवाल, निवासी वार्ड नं0 19, मण्डावा, जिला झुंझुनूं।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनू।
2. इन्द्राज पुत्र सोहनलाल, जाति माली, निवासी वार्ड नं0 3, मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनूं।

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण आदेश स. 1332 दिनांक 05.06.2018 न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं भूमि खसरा नं. 878 कस्बा मण्डावा

——

1. श्री सुगनसिंह, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से उपस्थित
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से उपस्थित
3. श्री संदीप सैनी, एडवोकेट— रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से उपस्थित

### आदेश

**दिनांक 12.04.2021**

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश दिनांक 05.06.2018 नामान्तरकरण संख्या 1332 वाके ग्राम मण्डावा के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र मियाद दफा 5 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र मि0अ0 दफा 5 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट की ओर से अपील इस आशय की पेश की गया है कि कस्बा मण्डावा में भूमि ख0न0 369/2 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा जिसकें नवीन खसरा नम्बर 878 रकबा 1.31 हैक्टर स्थित है। जो अपीलान्ट की पुश्तैनी कृषि भूमि है। जो अपीलान्ट के पिता सेडूराम पुत्र लादूराम जाति मेघवाल के नाम से आदिकाल से राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है। जिसको अपीलान्ट के पिता ने अपने जीवनकाल में काश्त की है तथा अपीलान्ट के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद अपीलान्ट उक्त भूमि पर काश्त करते आ रहे हैं। विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2045-2048 में इससे पूर्व भी लगातार अपीलान्ट के पिता के नाम से संवत् 2012 से लेकर आज तक अनवरत सेडूराम पुत्र लादूराम जाति मेघवाल के नाम रही है। दिनांक 05.06.2018 को श्रीमान तहसीलदार महोदय झुंझुनू ने बिना आधार के एक नामान्तरकरण सं0 1332 तस्दीक किया जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:27:28 IST
Reason: SelfAttested

पुत्र लादूराम हिस्सा सम्पूर्ण जाति मेघवाल सा. देह खातेदार की जगह सेडूराम पुत्र लादूराम हिस्सा सम्पूर्ण जाति माली सा0 देह खातेदार दर्ज कर दिया। उक्त आदेश एक ultravires आदेश होने से प्रथम दष्टया ही काबिले खारीज है। उक्त आदेश राजस्व कर्मियों से सांठ–गांठ करके प्राप्त किया गया आदेश है। कानूनन अनूसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति/वर्ग की भूमि किसी भी सूरत में स्वर्ण जाति के नाम दर्ज नही हो सकती और बिना दावा तथा बिना सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के कभी भी स्वत्व का हस्तान्तरण नही किया जा सकता। हस्तगत प्रकरण में अदालत मातहत ने बाला–बाला कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट की पुश्तैनी भूमि का नामान्तरण गलत तरीके से जाति परिवर्तन करने से अपीलान्ट के हकूको पर काफी विपरीत असर हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण आदेश सं0 1332 दिनांक 05.06.2019 को अवैध होने से निरस्त कर **सेडूराम पुत्र लादूराम जाति माली** की जगह **सेडूराम पुत्र लादूराम जाति मेघवाल** करने का आदेश प्रदान करें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि कस्बा मण्डावा में भूमि ख0न0 2 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा जिसकें हाल ख0न0 878 रकबा 1.31 हैक्टर स्थित अपीलान्ट की पुश्तैनी कृषि भूमि है जो अपीलान्ट के पिता सेडूराम पुत्र लादूराम जाति मेघवाल के नाम से आदिकाल से राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है। जिसको अपीलान्ट के पिता ने अपने जीवन काल मे काश्त की है तथा अपीलान्ट के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद अपीलान्ट उक्त भूमि को काश्त करते आ रहें है। विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2045–2048, व इससे पूर्व भी लगातार अपीलान्ट के पिता के नाम से व ख0न0 2 से लेकर आज तक अनवरत सेडूराम पुत्र लादूराम जाति मेघवाल के नाम रही है। दिनांक 05.06.2018 को श्रीमान तहसीलदार महोदय झुंझुनूं ने बिना आधार के एक नामान्तरकरण सं0 1332 तस्दीक किया जिसमें सेडूराम पुत्र लादूराम हिस्सा सम्पूर्ण जाति मेघवाल सा. देह खातेदार की जगह सेडूराम पुत्र लादूराम हिस्सा सम्पूर्ण जाति माली सा0 देह खातेदार दर्ज कर दिया। उक्त आदेश एक ultravires आदेश होने से प्रथम दष्टया ही काबिले खारीज है। कानूनन अनूसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति/वर्ग की भूमि किसी भी सूरत में स्वर्ण जाति के नाम दर्ज नही हो सकती और बिना दावा तथा बिना सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के कभी भी स्वत्व का हस्तान्तरण नही किया जा सकता। हस्तगत प्रकरण में अदालत मातहत ने बाला–बाला कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट की पुश्तैनी भूमि का नामान्तरण गलत तरीके से जाति परिवर्तन करने से अपीलान्ट के हकूको पर काफी विपरीत असर हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण आदेश सं0 1332 दिनांक 05.06.2019 को अवैध होने से निरस्त कर **सेडूराम पुत्र लादूराम जाति माली** की जगह **सेडूराम पुत्र लादूराम जाति मेघवाल** करने का आदेश प्रदान करें।

बहस के दौरान वकील रेस्पो0 सं0 2 ने वकील अपीलान्ट के [illegible] विरोध प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि हाल ख0न0 857 रकबा 1.31 है0 [illegible] है। जमाबन्दी संवत् 2024–2027 से जमाबन्दी संवत् 2041–2044 तक उक्त भूमि का खातेदार सेडूराम जिनकूराम पुत्र लादू, कौममाली रहा है परन्तु जमाबन्दी 2045 से 2048 मे उक्त विवादित भूमि की खातेदारी बिना आदेश के गलत रूप से सेडूराम लादू जाति चमार के नाम से दर्ज हो गई जो बाद मे आगे बदस्तूर रही। अपीलान्ट एक जैसी वल्दियत का गलत फायदा उठाना चाहता है। प्रकरण मे अपीलान्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:27:28 IST
Reason: SelfAttested

A 7/3

...स्वीकार नही है। प्रकरण मे तहसीलदार, झुंझुनूं के पत्रांक 679 दिनांक 12.02.2018 ... स्पष्ट होता है कि सहवन से विवादित भूमि की खातेदारी मे जाति माली के बजाय ... हो गई थी। अपील अपीलान्ट मे कोई फोर्स नही है। अतः अपील अपीलान्ट ... जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 05.06.2018 यथावत रखा जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 ने अपीलान्ट के कथनों कका विरोध कर ... किया कि विवादित भूमि के क्रम मे अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा ... आदेश दिनांक 05.08.2018 बाद जांच पारित किया गया है जो सही है। अतः अपील ... खारिज फरमाई जावे।

... पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। ... पत्रावली मे पुराना रिकार्ड, मिलान क्षेत्रफल देखने से यह स्पष्ट है कि ख0न0 369 ... बीघा 15 बिस्वा गत ख0न0 380 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा लादूराम पुत्र ... जाति माली के नाम दर्ज थी। उनके पुत्र सेडूराम एवं जीनकूराम के नाम उक्त ... जमीन संयुक्त खाते मे आ गई। बाद मे बंटवारे मे ख0न0 380 सम्पूर्ण एवं ख0न0 ... रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा जीनकूराम के नाम तथा ख0न0 369/2 रकबा 5 बीघा ... बिस्वा सेडूराम पुत्र लादूराम के नाम आ गई। जमीन ख0न0 369/2 संवत् 2045-48 मे ... पुत्र लादूराम जाति चमार के नाम से दर्ज हो गई जिनकी दुरूस्ति धारा 136 ... लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा दिनांक 23.04.2018 ... की गई जो उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सही है तथा नामान्तरकरण सं0 1332 ... आदेश की पालना मे भरा गया है। इससे जाहिर कि अदालत मातहत के आदेश मे ... अनियमितता नही रही है। अपील सारहीन है। अतः अपील अपीलान्ट्स निरस्त की ... है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की ... शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/04/21

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:27:28 IST
Reason: SelfAttested